डिकरी व मुकदमें इब्तादाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई

व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान नाहरसिंह बनाम घसीडा वगै0

दावा बाबत् 88,89,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 140/2014

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

विवादित आराजी खसरा नंबर 704 रकबा 0.82, 752 रकबा 0.83, 756 रकबा 0.24, 793 रकबा 0.24, 794 रकबा 0.13 किता 5 रकबा 2.56 है0 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई पर वादी नाहरसिंह के वारिसान वादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा खसरा नंबर 18 रकबा 0.01, 19 रकबा 0.76, 20 रकबा 0.46, 21 रकबा 0.19, 325 रकबा 0.17, 359 रकबा 0.22, 360 रकबा 0.09, 361 रकबा 0.03, 362 रकबा 0.18, 395 रकबा 0.47, 413 रकबा 0.22, 416 रकबा 0.15, 426 रकबा 0.11, 647 रकबा 0.49, 989 रकबा 0.01, 990 रकबा 0.09, 993 रकबा 0.04, 994 रकबा 0.04, 995 रकबा 0.03, 996 रकबा 0.11, 1122 रकबा 0.20, 1126 रकबा 0.19, 1136 रकबा 0.13, 1152 रकबा 0.27 कुल किता 24 कुल रकबा 4.71 है0 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई पर वादी नाहरसिंह के वारिसान वादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 को सयुंक्त रूप से 1/6 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 के 1/2 हिस्से के इन्द्राजात यथावत रहेंगे तथा वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ————————फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख व सुलयाबी तक ———————— की अदा करें ।

आज दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 12.03.25 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 12/3/25

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान					

सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. नाहरसिंह पुत्र चन्दू (मृतक) जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/1. अंगूरी बेवा नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/2. भजनलाल पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/3. कश्मीरा पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/4. इन्द्रा पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/5. सावित्री पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— वादीगण

बनाम

1. घसीड़ा पुत्र खैमा जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. रामवती बेवा राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. अर्चना पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. सरिता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. निशा पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. बहादुरसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. मोहनसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. रामकरन पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. रामचरन पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. साहब सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
11. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिए प्रबंधक शाखा नदबई।
12. राजस्थान सरकार तहसीलदार नदबई।
13. सब रजिस्ट्रार नदबई।
14. रतीराम पुत्र चंदू मृतक जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

असल प्रतिवादीगण

14/1. मोरध्वज पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14/2. गोपाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14/3. भीमा पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14/4. सौमौती बेवा रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14/5. शकुन्तला पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14/6. मछला पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— [illegible] प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:22 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

करण सं. 140/2014
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2014/00128
किस्म दावा 88.89,.188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 12.03.2025

1. नाहरसिंह पुत्र चन्दू (मृतक) जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/1. अंगूरी बेवा नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/2. भजनलाल पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/3. कश्मीरा पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/4. इन्द्रा पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

1/5. सावित्री पुत्री नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

— वादीगण

बनाम

1. घसीड़ा पुत्र खैमा जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. रामवती बेवा राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. अर्चना पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. सरिता पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. निशा पुत्री राजेन्द्र जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. बहादुरसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. मोहनसिंह पुत्र रघुवीर जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:22 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

रामकरन पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

9. रामचरन पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

10. साहब सिंह पुत्र रामस्वरूप जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

11. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिए **प्रबंधक शाखा नदबई।**

12. राजस्थान सरकार तहसीलदार **नदबई।**

13. सब रजिस्ट्रार नदबई।

असल प्रतिवादीगण

14. रतीराम पुत्र चंदू मृतक जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14/1. मोरध्वज पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14/2. गोपाल पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14/3. भीमा पुत्र रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14/4. सौमौती बेवा रतीराम रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14/5. शकुन्तला पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

14/6. मछला पुत्री रतीराम जाति जाट निवासी बढा तहसील नदबई जिला भरतपुर।

तरतीवी प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री रघु[illegible] (वादी की ओर से)

श्री महेन्द्र मीणा [illegible] (प्रतिवादी की ओर से)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण में ऐसा कोई सख्त नही है कि वाद के लिए अयोग्य हो सभी पक्षकार वाद पत्र लडने योग्य है।

2. विवादित आराजी खसरा नंबर 704 रकबा 0.82, 752 रकबा 0.83, 756 रकबा 0.24, 793 रकबा 0.24, 794 रकबा 0.13 किता 5 रकबा 2.56 है0 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई तथा खसरा नंबर 18 रकबा 0.01, 19 रकबा 0.76, 20 रकबा 0.46, 21 रकबा 0.19, 325 रकबा 0.17, 359 रकबा 0.22, 360 रकबा 0.09, 361 रकबा 0.03, 362 रकबा 0.18, 395 रकबा 0.47, 413 रकबा 0.22, 416 रकबा 0.15, 426 रकबा 0.11, 647 रकबा 0.49, 989 रकबा 0.01, 990 रकबा 0.09, 993 रकबा 0.04, 994 रकबा 0.04, 995 रकबा 0.03, 996 रकबा 0.11, 1122 रकबा 0.20, 1126 रकबा 0.19, 1136 रकबा 0.13, 1152 रकबा 0.27 कुल किता 24 कुल रकबा 4.71 है0 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई का 1/2 हिस्सा जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी अंकित है।

3. यह कि हाल खसरा नंबर 18, 19, 20, 21, 325, 359, 360, 361, 362, 395, 413, 416, 426, 647, 704, 752, 756, 793, 794, 993, 994, 995, 996, 989, 990, 1122, 1126, 1136, 1152 किता 29 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के अनुसार साबिक खसरा नंबर क्रमशः 8, 8, 8, 8, 641, 579, 579, 579, 610, 581, 586, 584, 165, 200, 241, 241, 483, 218, 530, 530, 530, 530, 540, 540, 605, 608, 851, 809 से बने है। तथा साबिक खसरा नम्बर 8, 641, 579, 610, 581, 586, 584, 165, 241, 483, 218, 530, 540, 605, 608, 851, 809 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 के अनुसार साबिक खसरा नंबर 8, 521, 543, 747, 526, 524, 147, 215 मिन, 220, 449, 191, 488, 495, 538, 541, 747, 709 से बने हैं।

4. यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एक ही पूर्वजों की संतान है जो सजरा वादपत्र पर अंकित है। वादी [illegible] संख्या 1 लगायत 7 तथा तरतीवी प्रतिवादी [illegible] की संताने हैं। तथा वादी का पिता चंदू व [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 का पिता खेमा व प्रतिवादी संख्या 3 लगा[illegible] 5 का ससुर व बाबा खेमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:22 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

का पिता बदले था। तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का पिता रघुवीर का पिता बदले था जो नकल सजरा संवत 2008 से स्पष्ट है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 एक हिंदू संयुक्त परिवार की संतान हैं।

5. यह कि विवादित आराजी जो वादपत्र में अंकित है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी वर्तमान रिकॉर्ड में अंकित हो रही है यह विवादित आराजी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 संयुक्त 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के बाबा खेमा 1/3 हिस्से पर तथा 1/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 7 के पिता रघुवीर बिस्वेदार की हैसियत से उक्त आराजी पर काबिज चले आ रहे हैं। तथा नकल जमाबंदी संवत 2012 में कॉलम नं. 4 में इस प्रकार का इन्द्राज है चूंकि वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 का पिता चंदू संवत 2006 के आस पास मृत्यु हो चुकी थी उस समय वादी की उम्र करीब 6 वर्ष की थी तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 की उम्र करीब 1 वर्ष थी इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 के पिता खेमा तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पिता रघुवीर ने रिकॉर्ड में गलत तरीके से अपनी काश्त दर्ज करा ली। जबकि विवादित आराजी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 की मृतक खेमा व रघुवीर के साथ वाहिस्सा बराबर काबिज चले आ रहे थे। यह कार्य प्रतिवादीगण के पिता खेमा व रघुवीर ने मौके के विपरीत काश्त दर्ज करवा ली। तथा उन्होंने वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 की नाबालिगी का गलत तरीके से फायदा उठाकर काश्त दर्ज करा ली थी। जबकि मौके पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 भी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 के पिता व बाबा खेमा व रघुवीर के साथ वाहिस्सा बराबर चले आ रहे थे तथा वर्तमान में भी आज तक विवादित आराजी पर इस प्रकार से काबिज चले आ रहे हैं। इस प्रकार से विवादित आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पिता खेमा व रघुवीर ने गलत काश्त इन्द्राजात के आधार पर विवादित आराजीयात पर अपनी खातेदारी दर्ज करा ली है जो आज तक बदस्तूर चली आ रही है। तथा वर्तमान में खेमा व रघुवीर की मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 7 की खातेदारी दर्ज हो रही है जबकि जगींदारी, बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट की धारा 29 (2) के तहत जब वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 प्रतिवादीगण के पूर्वज खेमा व रघुवीर के साथ वाहिस्सा बराबर काबिज चले आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के पिता खेमा व रघुवीर के द्वारा गलत काश्त दर्ज कराने के आधार पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण संख्या 14 के हकों से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि मौके पर आज भी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 संयुक्त विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के साथ वाहिस्सा बराबर काबिज चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त 1/3 हिस्से पर तथा 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं तथा वर्तमान इन्द्राजातों को कलमजन कराकर उक्त तरीके से खातेदारी दर्ज कराने के अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 10 को वादी को उसके इन्द्राजात से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है इसलिए इनके इन्द्राजात यथावत रखे जावें।

6. अंत में प्रार्थना की कि विवादित आराजी में अंकित किता 5 रकबा 2.26 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 विवादित आराजी के 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त 1/3 हिस्से पर तथा 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा विवादित आराजी मद संख्या 2 में अंकित किता 24 रकबा 4.71 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 को 1/6 हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त 1/6 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को 1/6 हिस्से पर खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 10 के 1/2 हिस्से के इन्द्राजात यथावत रखा जावे तथा वर्तमान इन्द्राजातों को कलमजन किया जाकर उसी तरीके से खातेदारी दर्ज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:22 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

यह कि वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री महेन्द्र मीणा एडवोकेट उपस्थित हुए। शेष प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 14 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय हाजा द्वारा निम्नांकित तनकीयात कायम की गई।

1. आया विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 को 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1/5 को संयुक्त 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को 1/3 हिस्से का वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।–
   जिम्मेवादीगण

2. आया विवादित आराजी किता 24 रकबा 4.71 है0 पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 को 1/6 हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त 1/6 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को 1/6 हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाकर वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जावे। – जिम्मेवादीगण

3. आया वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। – जिम्मेवादीगण

4. आया वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 5 नाबालिग है जिसकी बिनाय पर वादपत्र चलने योग्य नहीं है। – जिम्मेप्रतिवादीगण

5. आया विवादित आराजीयात पर वादी के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के फोर्स में आने के समय कब्जे में नहीं थी इसलिए काबिल खारिजी के है। – जिम्मेप्रतिवादीगण

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल खसरा संवत 2008 वाके ग्राम बढा प्रदर्श 1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 [illegible] 2, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 प्रदर्श [illegible] नकल जमाबंदी स[illegible] 2068–71 वाके ग्राम बढा प्रदर्श 5, नकल ढालवाच (खाता) मौजा बढा संवत 2000 प्रदर्श 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:22 IST
Reason: SelfAttested

12/2/25

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 12, नकल जमाबंदी संवत 2008 वाके बढा प्रदर्श 13 लगायत 19, नकल जमाबंदी संवत 2012 वाके बढा प्रदर्श 20–28, नकल जमाबंदी संवत 2013–19 वाके बढा किता 7 2019–16 प्रदर्श 29, नकल जमाबंदी संवत 2013–19 वाके बढा किता 7 प्रदर्श 30 पेश किए गए। तथा मौखिक बयान के रूप में भजनलाल पुत्र नाहरसिंह जाति जाट निवासी बढा एवं बच्चूसिंह पुत्र मदनसिह जाति जाट निवासी भौसींगा पेश किए गए जिनसे जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई।

प्रतिवादी द्वारा अपने जबाव के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी संवत 2012 वाके बढा किता 1 लगायत 4, नकल जमाबंदी संवत 2016–19 वाके बढा किता 5, नकल जमाबंदी संवत 2020 वाके बढा किता 2, नकल जमाबंदी संवत 2008 वाके बढा, नकल जमाबंदी संवत 2012 पेश किए गए। तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में घसीडा पुत्र खैमा जाति जाट निवासी बढा, मुकेश पुत्र प्रताप जाति जाट निवासी गांगरौली पेश किए गए जिनसे जिरह वकील वादी द्वारा की गई।

हमने वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस अन्तिम सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि

1. आया विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 को 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1/5 को संयुक्त 1/3 हिस्से तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को 1/3 हिस्से का वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं।
2. आया विवादित आराजी किता 24 रकबा 4.71 है0 पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 को 1/6 हिस्से पर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त 1/6 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 6 व 7 को 1/6 हिस्से पर खातेदार घोषित किया जाकर वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जावे।

उक्त तनकी स. 1 व 2 को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत [illegible]1 वाके ग्राम बढा प्रदर्श 1 में विवादित खसरा [illegible] 756 [illegible] 791 किता 5 रकबा 2.26 है0 वाके बढा संपूर्ण तथा खसरा नं. [illegible]8, 19, 20, 21, 325,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:22 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

रघुवीर पि. बदले वा हिस्सा बराबर गैर मौरोसी, खेमा व रघुवीर पि. बदले हिस्सा बराबर, रामस्वरूप वल्द परसादी कौम जाट साकिन देह गैर मौरोसी का अंकन है। जमाबंदी संवत 2016–19 में खैमा, रघुवीर पिसरान बदले वाहिस्सा बराबर निस्फ रामस्वरूप वल्द परसादी कौम जाट साकिन देह प्रदर्श 29 से साबित है। जमाबंदी संवत 2013–16 में प्रदर्श 34 पर रामस्वरूप वल्द परसादी निस्फ, नाहरसिंह व रतीराम पिसरान चंदू वाहिस्सा बराबर 1/3 , खेमा व रघुवीर पिसरान बदले वाहिस्सा बराबर 2/3 निस्फ जाति जाट साकिन देह के नाम खातेदारी अंकित हो रही है। यानि की वादीगण के नाम खातेदारी का अंकन हुआ है। उसके बाद जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन एक्ट फोर्स में आया जो कॉलम संख्या 04 में थे उनको खत्म करके सरकार मालिक बन गई। तथा काश्त वादी को खातेदारी बना दिया गया जबकि जमींदारी बिस्वेदारी एक्ट की धारा 29 (2) के तहत जब वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एक ही पूर्वज की संतान है तथा वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 12 के पूर्वज खैमा व रघुवीर के साथ वाहिस्सा बराबर काबिजकाश्त चले आ रहे हैं लेकिन ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के पिता खैमा व रघुवीर के द्वारा गलत काश्त दर्ज कराने के आधार पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 के हकों से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी द्वारा संवत 2008–2020 तक खातेदार रहे हैं परन्तु नकल जमाबंदी संवत 2012 में प्रदर्श 34 पर वादी के नाम खातेदारी अंकित हो रही है उसके बाद वादी की खातेदारी का अंकन नहीं किया गया इस प्रकार उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य से संवत 2008 में वादी के पूर्वजों की काश्त रही है। अतः उपरोक्त दस्तावेजी रिकॉर्ड के आधार पर वादीगण अपने आप को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी हैं। अतः उक्त तनकी वादी के ह[illegible] तय की जाती है।

3. आया वादी प्रतिवादीगण को [illegible] निषेधाज्ञा से [illegible] करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार [illegible] वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तनकी संख्या 1 व 2 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:22 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयानुसार वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

4. आया वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 5 नाबालिग है जिसकी बिनाय पर वादपत्र चलने योग्य नहीं है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे सिद्ध होता हो कि प्रतिवादी संख्या 5 नाबालिग है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

5. आया विवादित आराजीयात पर वादी के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के फोर्स में आने के समय कब्जे में नहीं थी इसलिए काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से साबित है कि वादीगण के पूर्वज आरटीए के फोर्स में आने से पूर्व ही कब्जेकाश्त में रही है। तथा संवत 2020 तक खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड रहे हैं अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निणर्य विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 704 रकबा 0. 82, 752 रकबा 0.83, 756 रकबा 0.24, 793 रकबा 0.24, 794 रकबा 0.13 किता 5 रकबा 2.56 है0 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई पर वादी नाहरसिंह के वारिसान वादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 तथा तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा खसरा नंबर 18 रकबा 0.0[illegible], 19 रकबा 0.76, 20 रकबा 0.46, 21 रकबा 0.19, 325 रकबा 0.17, 359 रकबा 0.22, 360 र[illegible] 0.0[illegible], 361 रकबा 0.03, 362 रकबा 0.18, 395 रकबा 0.47, 413 रकबा 0.22, [illegible] रकबा 0.15, 426 रकबा 0.11, 647 रकबा 0.49, 989 रकबा 0.01, 990 रकबा 0.09, 993 रकबा 0.04, 994 रकबा 0.04, 995 रकबा 0.03, 996 रकबा 0.11, 1122 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:22 IST
Reason: SelfAttested

12/3/25

Scanned with OKEN Scanner

1126 रकबा 0.19, 1136 रकबा 0.13, 1152 रकबा 0.27 कुल किता 24 ल रकबा 4.71 है0 वाके ग्राम बढा तहसील नदबई पर वादी नाहरसिंह के ारिसान वादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 14 को सयुंक्त रूप से 1/6 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से पर तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 7 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 के 1/2 हिस्से के इन्द्राजात यथावत रहेंगे तथा वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है। तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.3.25 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

12/3/25

(गंगाधर मीना (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.07.11 17:42:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner